Asha
मेरी पहचान मेरी आशा

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(CIN: U01122RJ2016PTC049656)
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या-03, पानेरियों की मादड़ी,
सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान - 313002
Tel: +91-0294-2481466
email: info@ashamilk.com, www.ashamilk.com

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की 10वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे अशोका ग्रीन, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, उदयपुर, राजस्थान 313001 पर निम्न कार्यो के लिये होगीः-

1. **31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करनाः-**

   “दिनांक 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।’’

2. **कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

   ’’प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 6/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 680119 समता अंशो पर रू.4080714/- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।’’

3. **सुश्री ललिता जाट (डी.आई.एन.: 11265766), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

   ’’प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, सुश्री ललिता जाट (डी.आई.एन.: 11265766), जो ‘‘श्रेणी ए’’ के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।’’

4. **श्रीमती सज्जन कुंवर (डी.आई.एन.: 11265747), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती सज्जन कुंवर (डी.आई.एन.: 11265747), जो ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

5. **श्रीमती गुलाबी (डी.आई.एन.: 11265759), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती गुलाबी (डी.आई.एन.: 11265759), जो ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

6. **श्रीमती शांता पटेल (डी.आई.एन.: 11265734), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती शांता पटेल (डी.आई.एन.: 11265734), जो ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

7. **श्रीमती नरसा कुवर (डी.आई.एन. 9691291), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती नरसा कुंवर (डी.आई.एन. 9691291), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

8. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा (डी.आई.एन. 9150409), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा (डी.आई.एन. 9150409), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

9. **1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

"1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

10. **कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि करना। सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः-**

"प्रस्ताव पारित किया जाता हैं कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR तथा अगर कोई हैं, तो कम्पनी अधिनियम के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों (किसी के प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, रू 100/- (एक सौ रूपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 7,00,000 (सात लाख) समता अंश लाकर कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी को रू 100/- (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 8,00,000 (आठ लाख) समता अंशों में विभाजित रू 8,00,00,000 (केवल रू. आठ करोड़) से बढ़ाकर 100/- (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 15,00,000 (पंद्रह लाख) समता अंशों में विभाजित रु 15,000,000 (अक्षरे पंद्रह करोड़ रूपये) किया जाए।

प्रस्ताव पारित किया जाता हैं कि कम्पनी के बहिर्नियमों में पुनर्सख्यांकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

"**VI.** कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रू. 15,00,00,000 (अक्षरे पंद्रह करोड़ रूपये) है, जो रू 100/- (एक सौ रूपये) प्रति शेयर के 15,00,000 (पंद्रह लाख) शेयरों में विभाजित है।"

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, इस प्रस्ताव को प्रभावित करने हेतु, कम्पनी की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी को पृथक-पृथक रूप से ऐसे सभी कदम उठाने एवं कार्य करने, मुद्दों एवं वस्तुओं को संभालने, जैसा आवश्यक समझे निर्णय लेने का अधिकार एवं इस सम्बन्ध में उठे किन्ही मामलें, कठिनाई या संदेह का समाधान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।''

11. **एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) की शेयर पूंजी लेने (Subscription) पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:**

''कम्पनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम के लागू होने वाले प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के

वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के सदस्यों द्वारा एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) के शेयरों में सामान्य संचय के 30 प्रतिशत की सीमा तक अभिदान करने और एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड की गई एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) का सदस्य बनने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

कम्पनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी को पृथक-पृथक रूप से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवशयक कार्रवाई प्रारम्भ करने और दस्तोवजों को निष्पादन करने को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

12. बोर्ड में रिक्त पदों के लिए योग्य सदस्यों से प्राप्त आवेदनों के निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशो पर विचार कर अनुमोदन करना और इस सम्बध मे समान्य प्रस्तावों के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव को अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे परित करनाः

''प्रस्ताव पारित जाता है कि पूर्व में पारित प्रस्ताव के स्थान पर, कम्पनी अधिनियम के भाग XXIA के प्रावधानो, विशेष रूप से धारा 378-I एवं धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के के अंतर्गत बनाये गये नियमों तथा लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देशो को पारित कर अनुमोदन किया जाता है जो नीचे दिये गये है अर्थात,

(i) बोर्ड, 'कम्पनी के बोर्ड में उत्पादक-सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार' के लिए नामों का सुझाव बोर्ड को प्रदान करने हेतु आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड़ (''कम्पनी'') का बोर्ड एक ''नोमिनेशन कमेटी'', का गठन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन महिनों के अन्दर करेगा।

(ii) बोर्ड के उत्पादक निदेशकों के रिक्त पदों (श्रेणी **A** श्रेणी **B** या श्रेणी **C** के अन्तर्गत) की घोषणा कम्पनी के बोर्ड निदेशकों द्वारा की जायेगी। नोमिनेशन कमेटी द्वारा विचार हेतु पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने के लिए सूचना-पत्र (बोर्ड में रिक्त सभी पदों को भरने हेतु) कम्पनी के नोटिस बोर्ड पर और या यदि कोई कम्पनी की वेबसाईट पर, यदि कोई हो, और/या कम्पनी में पंजीकृत ईमेल आईडी पर और/या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/अन्य मोड के माध्यम से दिखाया जायेगा या जिस श्रेणी की रिक्तता पैदा होगी उससे सम्बन्धित सभी सदस्यों को सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर सूचित किया जायेगा।

(iii) बोर्ड अंतर्नियमों के अनुसार, ऐसे योग्य सदस्यों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसकी पालना 'नोमिनेशन कमेटी' द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

(iv) ''नोमिनेशन कमेटी'' निम्नलिखित सारणी में पात्र प्रार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए 'प्रार्थी के योग्यता अंक' पर विचार करेगीः

प्रार्थी के योग्यता अंक हेतु मानदंड	**अधिकतम अंक**
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षो के दौरान कम्पनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगेः (95% या अधिक दिन - 30 ; 85% से <95% दिन - 20 ; 75% से <85% दिन - 15 ; 65% से <75% - दिन 10 ; 55% से <65% दिन - 5 ; <55% दिन - 0)	30
अवधि के दौरान कम्पनी को स्व-घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर संपूर्ण आधिक्य की आपूर्ति करना (अर्थात अन्य किसी प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध आपूर्ति नही की है)-	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य श्रेणी (ए, बी, सी) में से किसी एक को बनाये रखने के लिए प्रति वर्ष के लिए 6 अंक	30
प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता महिला के लिए-10वीं के लिए-5, 12वीं के लिए-10, स्नातक के लिए - 15	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया - सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण (5 अंक); एलडीपी/ बोर्ड निदेशको हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (10 अंक)	20
कुल	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित की गई 'नोमिनेशन कमेटी' में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) सदस्यता श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता उत्पन हुई है बशर्तें ऐसा उत्पादक-सदस्य निदेशक उस आगामी वार्षिक आम सभा से सेवा-निवृत होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक - उत्पादक निदेशक योग्य सिद्ध होता है, तो किसी भी अनुबंध के अंतर्गत और उसके अधीन, ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा एक नोमिनेशन कमेटी सदस्य को चुना जायेगा। इसके अतिरिक्त, अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नही है, तो कोई अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक को सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या ड्रॉ ऑफ लोट्स प्रक्रिया के द्वारा चुना जायेगा;

(ii) कम्पनी बोर्ड का एक विशेषज्ञ निदेशक और

(iii) किसी प्रबंधन संस्थान का एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु बहुत कार्य किया हो; और

(vi) कम्पनी का कम्पनी सचिव 'नोमिनेशन कमेटी' को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नोमिनेशन कमेटी की सभा के लिखित कार्य विवरणों सहित उसके सभी संबन्धित दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होगा।

(vii) 'नोमिनेशन कमेटी' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपने सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।

(viii) बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों के चुनने के लिए 'नोमिनेशन कमेटी' के द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, इस प्रस्ताव को प्रभावित करने हेतु, बोर्ड के निदेशकों को एतदद्वारा ऐसे सभी कदम उठाने एवं कार्य करने, मुद्दों एवं वस्तुओं को संभालने, जैसा आवश्यक समझे निर्णय लेने का अधिकार एवं इस सम्बन्ध में उठे किन्ही मामलें, कठिनाई या संदेह का समाधान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार
आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./-
(धर्मेन्द्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन: 8122632

स्थान: उदयपुर
दिनांक : 29 अगस्त, 2025

नोट्स-

1. **कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।**
2. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
3. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः-
   (i) निदेशकों के पद हेतु चयन के लिए प्रत्येक प्रत्याक्षयों के नाम तथा उनकी योग्यताओं सहित।
   (ii) दिनांक 20 सितम्बर, 2024 को 9वी वार्षिक आम सभा की मिनट्स।
   (iii) 31 मार्च, 2025 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि का लाभ-हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों की रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।
   (iv) वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट ।
4. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 से सांयः 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।
5. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशसा की है, अगर आम सभा में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।
6. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।
7. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवशयकता हो या कोई प्रशन हो तो वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करे।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।
10. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार अदावाकृत या असंदत्त लाभांश की राषि को अनपेड डिविडेंड खातें में हस्तान्तरण की तारीख से 7 वर्षो की अवधि के लिए दावा/नकदीकरण नही करते है तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित करना आवशयक है। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट www.ashamilk.com पर अदावाकृत या असंदत्त राशि को देख सकते है। सदस्यों से निवेदन है कि वे अदावाकृत या असंदत्त की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित करने से पूर्व कम्पनी से दावा कर सकते है।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।
12. बैठक की सूचना कम्पनी की वेसाइट www.ashamilk.com पर उपलब्ध है।
13. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल तक आसानी से पहुँचने के लिए एक मार्ग मानचित्र वार्षिक आम बैठक की इस सूचना के साथ संलग्न है।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति होने वाले निदेशकों का विवरण [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (4)(c) और आम सभा पर सचिवीय मानकों के अनुसार]

मद संख्या 3,4,5,6,7 और 8

विवरण	सुश्री ललिता जाट	श्रीमती सज्जन कुंवर	श्रीमती गुलाबी	श्रीमती शांता पटेल	श्रीमती नरसा कुंवर	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा
आयु:	24	43	33	39	35	47
योग्यता:	स्नातकोत्तर	10वीं पास	10वीं पास	12वीं पास	12वीं पास	10वीं पास
व्यवसाय:	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन
अनुभव:	कृषि एवं पशुपालन में 3 वर्षों का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में 20 वर्षों का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में 12 वर्षों का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में 18 वर्षों का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में 15 वर्षों का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में 27 वर्षों का अनुभव
नियुक्ति के नियम और शर्तें:	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग तथा अंतिम आहरित पारिश्रमिक:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि:	10वी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	10वी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	10वी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	10वी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	02.09.2022	17.04.2021
गत वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लिया की संख्या:	-	-	-	-	6	7
शेयरधारिता:	68	72	90	34	17	9
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध:	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं
बोर्ड की समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बोर्ड के आदेशानुसार

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./-

(धर्मेन्द्र कुमार)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक

डीआईएन: 8122632

स्थान: उदयपुर

दिनांक : 29 अगस्त, 2025

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना-पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2025 में दी गई मद संख्या 10, 11 और 12 से संबंधित)

मद संख्या : 10

वर्तमान में, कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रू. 8 करोड़ है, और ज़ारी की गई, अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी रू. **6.93** करोड़ है । कम्पनी की सामान्य व्यवसायिक कार्यप्रणाली में कम्पनी की वृद्धि एवं विकास से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी को रू. 15 करोड़ तक बढ़ाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी को रू. 15 करोड़ तब बढ़ाया जाये तथा इस उद्देश्य हेतु, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या **10** में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के बहिर्नियमों मे रूपान्तरित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव में की गई गणना के अनुरूप, लागू होने वाले वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, कम्पनी के लिए अधिकृत अंश पूंजी वृद्धि तथा कम्पनी के बहिर्नियमों में पूंजी से संबंधित अनुच्छेद में बदलाव हेतु सदस्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का कम्पनी में उनकी संबंधित अंशधारिता की सीमा को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 10 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशसा करता है।

मद संख्या : 11

एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के माध्यम से, दूध उत्पादक संगठनों के लिए एक एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Multi State Cooperative Society) प्रमोट की गई अथवा भविष्य में प्रमोट किये जाने के लिए, सहायता प्रदान कर रहा है। उक्त एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी। सोसाइटी का उद्देष्य दूध उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण और विपणन में सहायता प्रदान करके, डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करके और सरकारी निकायों के साथ सहयोग और सहकारी सिद्धान्तों के पालन के माध्यम से दूध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। चूंकि, आशा कंपनी के उद्देश्य और गतिविधियां, विशेष रूप से सहकारी और पारस्परिक सहायता सिद्धान्तों को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन बढाने और भारत में डेयरी वेल्यू चैन को मजबूत करना है जोकि इस एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के व्यापक लक्ष्यों और दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इसलिए, यह प्रस्तावित है कि आशा कंपनी, सदस्यता लेने हेतु अपने अधिकतम सामान्य संचय के 30 प्रतिशत सीमा तक एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर अभिदान कर सकता है और एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड की गई एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य बने।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का कम्पनी में उनकी संबंधित अंशधारिता की सीमा को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 11 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशसा करता है।

मद संख्या : 12

यह अनुभव किया गया है कि उत्पादक निदेशक पद के लिये उपयुक्त प्रत्यार्थी को चुनने हेतु वर्तमान मापदंड प्रत्यार्थी की योग्यता अंको के आंकलन क्षेत्र को सीमित कर करते है। इसलिए, यह अनुशसा की जाती है कि योग्यता अंक मापदंडों को संभावित आवेदकों की योग्यता मापदंडों के साथ उचित रूप से संरेखित (align) करने के लिए संशोधित किया जाये।

आगे, अंशधारकों द्वारा पूर्व में पारित किए गए प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को कम्पनी की आम सभा में एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके अंशधारकों द्वारा संशोधित और अनुमोदन किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का कम्पनी में उनकी संबंधित अंशधारिता की सीमा को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 12 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./-
(धर्मेन्द्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन: 8122632

स्थान: उदयपुर
दिनांक : 29 अगस्त, 2025

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

स्थानः कृषि विज्ञान विद्यालय, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, डबोक, उदयपुर-313001 (राजस्थान) में सदस्यों की 9वीं वार्षिक आम सभा, शुक्रवार, दिनांक 20 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे को आयोजित हुई जिसकी कार्यवाही विवरण का विवरण निम्न हैः-

बैठक में उपस्थित सदस्य :-

उपस्थित:

1.	श्रीमती नरसा कुंवर	:	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
2.	श्रीमती कन्या	:	निदेशक एवं शेयरधारक
3.	सुश्रि रंजना कुंवर राठौड़	:	निदेशक एवं शेयरधारक
4.	श्रीमती काली देवी	:	निदेशक एवं शेयरधारक
5.	श्रीमती माफ़ी देवी	:	निदेशक एवं शेयरधारक
6.	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा	:	निदेशक एवं शेयरधारक
7.	सुश्रि भावना कुमारी	:	निदेशक एवं शेयरधारक
8.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
9.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
10.	श्रीमती प्रियका व्यास	:	कंपनी सचिव

150 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, जिनके पास 6,218 इक्विटी शेयर थे, तथा 11,258 शेयरधारक प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे, जिनके पास 2,34,786 इक्विटी शेयर थे।

A. श्रीमती नरसा कुंवर ने बैठक की अध्यक्षता की।

B. श्रीमती नरसा कुंवर, अध्यक्ष मोहदया ने कंपनी के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार कोरम पूरा होने की घोषणा की। उन्होंने सूचित किया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर और निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर जाच के लिये उपलब्ध है। इसके बाद बैठक की कर्येवाही शुरू की गई।

C. अध्यक्ष ने कंपनी की 9वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया।

D. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति से, 9वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने संबंधी नोटिस, जो पहले ही सदस्यों को भेजा जा चुका था, को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

E. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने भाषण में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, श्रीमति प्रियंका व्यास, कंपनी सचिव ने बैठक की कर्येवाही शुरू की:

बैठक में निम्नलिखित कार्य संपन्न हुए:

1. **31 मार्च 2024 तक लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही उसके भाग के रूप में अनुसूचियां और नोट्स तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प को अपनाना:**

   सुश्री लक्ष्मी कुंवर (फोलियो संख्या: 0018473) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

   प्रस्ताव संख्या: 01/9**वीं वार्षिक आम बैठक:**20**.09.202**4**/202**3**-2**4

   "यह संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2024 तक लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणअनुसूचियां और उनका हिस्सा बनने वाले नोट्स सहितऔर उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को एतदद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

   श्रीमती सूरज (फोलियो संख्या: 0026837) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

   अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. **कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और उसकी घोषणा करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को अपनाना: -**

   श्रीमती बिंदु कुंवर (फोलियो संख्या: 0039742) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

   प्रस्ताव संख्या: 02/9**वीं वार्षिक आम बैठक:**20**.09.202**4**/202**3**-2**4

   "यह संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए चालू मुनाफे में से प्रति इक्विटी शेयर ₹ 8/- (आठ रुपये मात्र) की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) ₹ 100/- (एक सौ रुपये मात्र) प्रत्येक के 5,93,843 इक्विटी शेयरों पर, जो पूरी तरह से चुकता हैं

और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 47,50,744/- (सैंतालीस लाख पचास हजार सात सौ चौवालीस रुपये मात्र) को अवशोषित करते हैं, को एतदद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है और यह उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाए, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।"

श्रीमती कमला बाई (फोलियो नं.: 0029395) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. **निदेशक मंडल में "कोई वर्ग नहीं" के अंतर्गत आने वाली श्रीमती काली देवी (डीआईएन: 09141092) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और उनके स्थान पर "वर्ग - बी" का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती संतोष चौधरी को नियुक्त करना, ताकि संरक्षण मानदंडों के आधार पर बोर्ड में सदस्यों का वर्ग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में अपनाना:**

श्रीमती ममता पटेल (फोलियो संख्या: 0029991) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 03/9वीं वार्षिक आम बैठक:20.09.2024/2023-24

"यह संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल में "कोई वर्ग नहीं" के अंतर्गत आने वाली श्रीमती काली देवी (डीआईएन: 09141092), जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 (iii) के अनुसार, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं और उनके स्थान पर कंपनी के सदस्यों के "वर्ग-बी" का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती संतोष चौधरी को कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 9.6 और अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुन: अधिनियमन के साथ) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती रामू कुंवर(फोलियो नं.: 0033709) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. **श्रीमती माफ़ी देवी (डीआईएन: 09232051) को पुनः नियुक्त करने के लिए, जो सेवानिवृत्त होने वाली हैं और जो पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है:**

श्रीमती लाली बाई (फोलियो संख्या: 0026963) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः-

प्रस्ताव संख्या: 04/9**वीं वार्षिक आम बैठक:2**0**.09.202**4**/202**3**-2**4

"संकल्प लिया जाता है कि श्रीमती माफ़ी देवी (DIN: 09232051), जो सेवानिवृत्त होने वाली हैं और जो पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाला होगा।"

श्रीमती हंसा कुंवर(फोलियो नं.: 00029372) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. **वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना:**

श्रीमती पंकू देवी (फोलियो संख्या: 005871) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः-

प्रस्ताव संख्या: 05/9**वीं वार्षिक आम बैठक:2**0**.09.202**4**/202**3**-2**4

"संकल्प लिया गया कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया गया है, एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती वनु कुंवर(फोलियो नं.: 0041838) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. **एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट समझौतेपर विचार करना और उसे मंजरीूदेना**

श्रीमती मीरा (फोलियो संख्या: 005019) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः-

प्रस्ताव संख्या: 06/9**वीं वार्षिक आम बैठक:2**0**.09.202**4**/202**3**-2**4

"संकल्प लिया गया कि कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो फिलहाल लागू हैं) के अनुसार,

कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था / समझौते में प्रवेश करने और सेकंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन के अनुसमर्थन के लिए कंपनी को दिया जाता है और सेकंडमेंट व्यवस्था के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ लेनदेन / अनुबंध / व्यवस्था / समझौते में प्रवेश करने और / या जारी रखने के लिए कंपनी को अनुमोदन दिया जाता है।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए आम बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

आगे यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती कुसुम (फोलियो नं.: 0043389) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. एनडीडीबी डेयरी सेवाओं ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

श्रीमती पुनि देवी (फोलियो संख्या: 001321) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 07/9वीं वार्षिक आम बैठक:20.09.2024/2023-24

“संकल्प लिया गया कि कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू), कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ दूध की आपूर्ति के लिए लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते के लिए 05/04/2024 को एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ किए गए आपूर्ति समझौते को दिया जाता है, जिसमें कोई भी संशोधन, परिवर्तन और विस्तार शामिल है;

आगे यह भी प्रस्ताव किया गया कि निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती गीता कुमारी (फोलियो नं.: 0017888) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. बैठक में कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

स्थान**:** उदयपुर **अध्यक्ष**

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड **वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट**			
आयगत बजट			
क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**बजट वित्त वर्ष 25-26**
(I)	दूध संकलन मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	1,30,515
(II)	दूध परिचालन से आय	रूपये लाखों में	27,990.47
(III)	संकलन मूल्य (Producer Price)	रूपये लाखों में	24,248.69
(IV)	सहायक मार्जिन	रूपये लाखों में	595.18
(V)	परिवहन लागत (Logistic Cost)	रूपये लाखों में	2,183.83
(VI)	दूध खरीद की अन्य लागत	रूपये लाखों में	731.57
(VII)	स्थायी लागत	रूपये लाखों में	557.52
(VIII)	**अनुदान सहायता से पहले दूध परिचालन से लाभ/(हानि)**	रूपये लाखों में	**(326.36)**
(IX)	घी से आय	रूपये लाखों में	22.51
(X)	रसगुल्ला/पनीर से आय	रूपये लाखों में	-
(XI)	अनुदान सहायता (JICA)	रूपये लाखों में	130.39
(XII)	**अनुदान सहायता के बाद दूध परिचालन से लाभ/(हानि)**	रूपये लाखों में	**(173.46)**
(XIII)	पीईएस से आय (घाटा)	रूपये लाखों में	(69.33)
(XIV)	सीएफएमएम (CFMM) से आय	रूपये लाखों में	184.35
(XV)	अन्य आय	रूपये लाखों में	100.84
(XVI)	**कर से पूर्व लाभ/(हानि)**	रूपये लाखों में	**42.41**
पूंजीगत बजट			
क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**बजट वित्त वर्ष 25-26**
A	**दूध परिचालन**		
(I)	आईसीटी (ICT)	रूपये लाखों में	3.50
(II)	डीपीएमसीयू (DPMCU)	रूपये लाखों में	30.00
	पूंजीगत - दूध परिचालन	रूपये लाखों में	**33.50**
(III)	**पूंजीगत** अनुदान सहायता - दूध परिचालन	रूपये लाखों में	-
	स्वयं के फंड से पूंजीगत व्यय	रूपये लाखों में	**33.50**
B	**पीईएस परिचालन (PES Operation)**		
(I)	कंटेनर	रूपये लाखों में	42.00
	पूंजीगत - पीईएस परिचालन	रूपये लाखों में	**42.00**
	पूंजीगत अनुदान सहायता - पीईएस परिचालन	रूपये लाखों में	-
	स्वयं के फंड से पूंजीगत व्यय	रूपये लाखों में	**42.00**
I	कुल पूंजीगत व्यय	रूपये लाखों में	75.50
II	कुल पूंजीगत व्यय अनुदान	रूपये लाखों में	-
III	**स्वयं के फंड से पूंजीगत व्यय**	रूपये लाखों में	**75.50**

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(CIN: U01122RJ2016PTC049656)
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या-03, पानेरियों की मादड़ी,
सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान - 313002
Tel: +91-0294-2481466
email: info@ashamilk.com, www.ashamilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या : | | | | | |

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे अशोका ग्रीन, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, उदयपुर, राजस्थान 313001 पर होने वाली 10वी वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ।

अंश धारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नामः- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

*जो लागू नही होता है, उसे काट दें।

Asha
मेरी पहचान मेरी आशा

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN: U01122RJ2016PTC049656)
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या-03, पानेरियों की मादड़ी,
सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान - 313002
Tel: +91-0294-2481466
email: info@ashamilk.com, www.ashamilk.com

फार्म संख्या एम.जी.टी.-11

प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (यों) का नाम : ....

पंजीकृत पता : ....

ईमेल आईडी : ....

फोलियो संख्या : ☐☐☐☐☐

मैं .... आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के अंशो की सदस्य होते हुये एतदद्वारा

(**1**) श्रीमती.. फोलियों संख्या ☐☐☐☐☐

पता..

ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः .... या उनकी अनुपस्थिति में

(**2**) श्रीमती.. फोलियों संख्या ☐☐☐☐☐

पता..

ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः .... या उनकी अनुपस्थिति में

(**3**) श्रीमती.. फोलियों संख्या ☐☐☐☐☐

पता..

ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः ....

को कम्पनी की शुक्रवार, 26 सितम्बर, 2025 को दोपहर 12.30 बजे अशोका ग्रीन, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, उदयपुर, राजस्थान 313001 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली 10वी वार्षिक आम सभा में मेरी

तरफ से प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के संबंध में वोट डालने (मतदान) के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ:

क्र. सं	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
2	कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
3	सुश्री ललिता जाट (डी.आई.एन.: 11265766), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
4	श्रीमती सज्जन कुंवर (डी.आई.एन.: 11265747), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
5	श्रीमती गुलाबी (डी.आई.एन.: 11265759), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना			
6	श्रीमती शांता पटेल (डी.आई.एन.: 11265734), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना			
7	श्रीमती नरसा कुंवर (डी.आई.एन. 9691291), जो बोर्ड में "श्रेणी सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना			
8	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा (डी.आई.एन. 9150409), जो बोर्ड में "श्रेणी सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना			
9	1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना			
10	कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना			
11	एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) की शेयर पूंजी लेने (Subscription) पर विचार कर विशेष प्रस्ताव पारित करना			
12	बोर्ड में रिक्त पदों के लिए योग्य सदस्यों से प्राप्त आवेदनों के निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशो पर विचार कर सामान्य प्रस्ताव पारित करना			

दिनांक .... 2025 को हस्ताक्षरित किये गये।

1/-
रेवेन्यू
टिकट

(अंशधारक (कों) के हस्ताक्षर)　　　　(प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर)

नोटः यह प्रॉक्सी फॉर्म वैधता के लिए वर्णित बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए।

Asha
मेरी पहचान मेरी आशा

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(CIN: U01122RJ2016PTC049656)
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या-03, पानेरियों की मादड़ी,
सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान - 313002
Tel: +91-0294-2481466
email: info@ashamilk.com, www.ashamilk.com

प्राप्ति रसीद (**Acknowledgement**)

फोलियो संख्या :

मैं...निवासी ....

....

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्या हूँ। मैंने कम्पनी द्वारा भेजी गई 10वी वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र सभी अनुलग्नों के साथ प्राप्त कर लिया है।

सदस्य के हस्ताक्षर/अगूंठे का निशान

दिनांक : ....

स्थान : ....

10वीं वार्षिक आम सभा स्थल के मार्ग का नक्शा

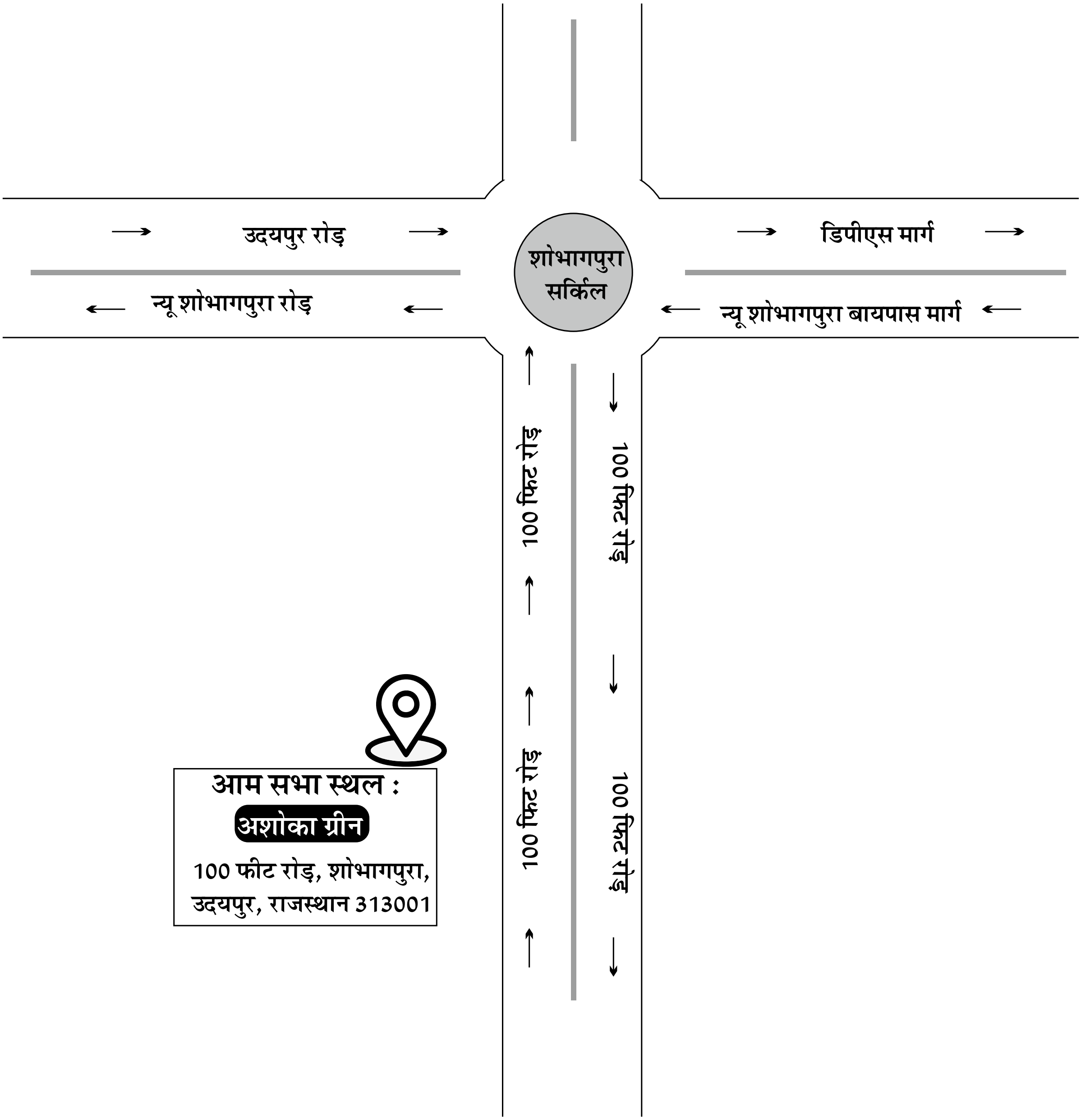

(नोटः हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता / असामंजस्यता / त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।